

347 निगम-3701/2018/रीवा मू.सू. 223

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मद्रास गवर्नर सर्किट कोर्ट रीवा, मद्रास.
राजम निगरानी क्र/ /018



- 01-धनपतलाल ब्रा० तनय श्री मतिधीर प्रसाद ब्रा० पेशा-नौकरी
- 02-धनेन्द्र प्रसाद पिता श्री मतिधीर प्रसाद ब्रा० पेशा-खेती

दोनो निवासी ग्राम बीडा, थाना व तह० सेमरिया जिला रीवा, मद्रास.

आवेदक प्रा० श्री भोले
श्री मनोज कुमार सिपाही
छ. नगर पंच/ 18-6-18
18-6-18

-----आवेदकगण

बनाम

- 01- अछलाल ब्रा० पिता द्वारिका प्रसाद ब्रा०
- 02- कैदीलाल पिता सुखनेन्दन राम ब्रा०
- 03- दिवाकर प्रसाद श्री " "
- 04- अखिला प्रसाद ब्रा० " "
- 05- अनिल प्रसाद ब्रा० : चौबी के पिता श्री गिरधारीलाल ब्रा०
- 06- कृष्ण कुमार ब्रा० " "

सभी निवासी ग्राम बीडा, थाना तह० सेमरिया जिला रीवा, मद्रास.

-----अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार
तह० सेमरिया वृत्त शाहपुर, जो राजम क्र० 162/
अ-27/16-17 मे दिनांक 14.05.018 को पारित
किया गया ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मद्रास मू० रा० सं० 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

101 यह कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया के विपरीत होने
से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(Handwritten signatures)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निगम-3701/2018/रीवा भू स्व जिला रीवा

धनपत लाल विरुद्ध मन्मथ लाल

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. मन्मथ लाल (पतिवार्ध) अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार तहसील. सोमरीय। के प्रकरण क्रमांक 162/8047/16.17 में पारित आदेश दिनांक 14-05-18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	


सदस्य


